



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012023-242176
CG-DL-E-23012023-242176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]
No. 46]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2023/माघ 3, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2023/MAGHA 3, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

फा. सं०. 11012/038/2016-2017/एफएसएसएआई/एफएंडए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 द्वारा यथापेक्षित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम, 2022, का प्रारूप जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में संख्या फा.स. 11012/038/2016-2017/एफएसएसएआई/एफएंडए, तारीख 24 मई, 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया था और उन व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आमंत्रित किये गए थे,

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 27 मई, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और, उक्त प्रारूप विनियम के संबंध में जनता से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 81 के उपधारा (2) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

विनियम**अध्याय-1****साधारण**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ.-** (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) 'अधिनियम' से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) अभिप्रेत है;
- (ii) 'मुख्य वित्तीय प्राधिकारी' से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (iii) 'वित्त समिति' से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की वित्त समिति अभिप्रेत है।
- (iv) 'खाद्य प्राधिकरण' से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(2) जिन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त है और इन विनियमों में परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में है।

अध्याय-2

2. **प्राधिकरण की निधियाँ.-** (1) खाद्य प्राधिकरण अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निधि' स्थापित करेगी।

(2) प्राधिकरण की वित्तीय प्राप्ति में निम्नलिखित रकम सम्मिलित होंगी, अर्थात् :-

- (क) केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निधि को दिए गए अनुदान।
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा शुल्कों और शास्तियों और अन्य वैधानिक प्रभारों के रूप में वसूली गई राशियाँ।
 - (ग) निधि से किए गए निवेशों से प्राप्त आय;
 - (घ) विप्लेषण प्रभारों, परामर्श, अनुदानों, दानों से अथवा किसी अन्य स्रोत से हुई आय।
- (3) खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विनियामक संस्था के रूप में वसूली गई सभी राशियाँ, यथा शुल्क, शास्तियाँ और अन्य वैधानिक प्रभार (उन पर ब्याज सहित) का अलग-अलग लेखा रखा जाएगा और वे प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले बैंक खाते में प्राप्त किए जाएँगे।
- (4) विनियम 2 के उपविनियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत वसूली गई राशियों को हितधारकों में साझा करने के बारे में निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा।
- (5) प्राधिकरण के पास विनियम 2 के उपविनियम (3) में उल्लिखित प्राप्ति के रूप में इन विनियमों के लागू होने की तारीख को उपलब्ध कोई रकम ऐसी प्राप्ति के लिए रखे गए बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएँगी।
- (6) खाद्य प्राधिकरण के सभी व्यय विनियम 2 के उप विनियम (1) में निर्दिष्ट सम्मिलित प्राप्ति से, अधिनियम की धारा 81 की उप धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित और केंद्रीय सरकार को अग्रेषित बजट के अनुसार किए जाएँगे।
- (7) खाद्य प्राधिकरण विनियम 2 के उप विनियम (1) में उल्लिखित वित्तीय प्राप्ति को रखने के लिए एक से अधिक बैंक खाते खोल सकेगा।

अध्याय-3

3. वित्त समिति.- (1) एक वित्त समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

- | | | |
|-------|---|--------------|
| (i) | कार्यकारी निदेशक (वित्त),
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण | - अध्यक्ष |
| (ii) | अपर सचिव और वित्त प्राधिकारी, स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (iii) | खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामित इसके दो सदस्य | - सदस्य |
| (iv) | निदेशक (वित्त),
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण | - सदस्य सचिव |

(2) वित्त समिति खाद्य प्राधिकरण के वित्तीय मामलों, और विशिष्ट रूप से सम्बद्धित निम्नलिखित मामलों पर समग्र इनपुट प्रदान करेगी:

- (i) प्राधिकरण का बजट (निष्पादन बजट सहित);
- (ii) केंद्रीय सरकार से लेखानुदान और अन्य प्राप्तियों के आकलन;
- (iii) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखापरीक्षक से प्राधिकरण के खातों की लेखा परीक्षा;
- (iv) अधिशेष निधियों के निवेश;
- (v) विभिन्न कार्य कार्यक्रमों के लिए बजट आबंटन के बारे में सलाह;

(3) (i) मुख्य वित्तीय प्राधिकारी वित्तीय रिपोर्टों के प्रारूप तैयार करवाएगा और वित्त समिति को वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

(ii) मुख्य वित्तीय प्राधिकारी द्वारा तैयार रिपोर्टें सामान्यतः प्राधिकरण की वित्तीय और नकदी की स्थिति, इसके द्वारा बजट का अनुपालन और अंशदानों पर किसी अंशदानदाता द्वारा अधिरोपित बाध्यताओं का उपबंध करेगी।

(iii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के वार्षिक लेखों और वित्तीय विवरणियों को मुख्य वित्तीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा, वित्त समिति द्वारा पुनरावलोकन किया जायेगा और खाद्य प्राधिकरण के समक्ष उसके विचार करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) समिति की बैठकें.- (1) वित्त समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार अथवा आवश्यकतानुसार अधिक बार बुलाई जाएंगी।

(2) समिति की किसी बैठक में कार्य के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति कार्यकारी निदेशक (वित्त), खाद्य प्राधिकरण और दो अन्य सदस्यों से मिलकर होगी।

(3) बैठक का कार्यवृत्त सम्यक रूप से उपस्थित सदस्यों द्वारा तैयार और हस्ताक्षर किया जाएगा।

(4) बैठकों में उपस्थित होने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते खाद्य प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाएंगे।

(5) सभी वित्तीय प्रस्ताव विचारार्थ और अनुमोदन के लिए खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

अध्याय-4

4. **निधि के उपयोग के लिए प्रत्यायोजन:** निधि का उपयोग नीचे निर्दिष्ट रीति से किया जाएगा, अर्थात:-
- केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निधि से सभी व्यय भारत सरकार के समय समय पर संशोधित साधारण वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार किए जाएँगे।
 - केन्द्रीय सरकार से भिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों से सभी व्यय भारत सरकार के साधारण वित्तीय नियम, 2017 अथवा वित्त समिति की अनुशंसा पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएँगे।

अध्याय-5

5. **प्राधिकरण के लेखे.-** (1) प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य संगत अभिलेख रखेगा तथा लेखों की वार्षिक विवरणी, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी है केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट साधारण दिशा-निर्देशों तथा प्रारूप में तैयार करेगा।
- प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा अथवा इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा देय होगा।
 - भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष प्रस्तुत किए जाएँगे तथा वह सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष लेखापरीक्षा रखवाएगी।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./574/2022-23]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2023

F.No. 11012/038/2016-2017/FSSAI/F&A—Whereas the draft of the Food Safety and Standards Authority of India (Financial) Regulations, 2022 were published as required by section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 11012/038/2016-2017/FSSAI/F&A, dated the 24th May, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 27th May, 2022;

And whereas no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (2) of section 81 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely: -

Regulations**CHAPTER - I****General**

- Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Financial) Regulations, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
(i) “Act” means Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006);

- (ii) “Chief Financial Authority” means the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India in respect of the powers to be exercised under sub section 4 of section 10 of the Act;
 - (iii) “Finance Committee” means a Finance Committee of the Food Safety and Standards Authority of India;
 - (iv) “Food Authority” means the Food Safety and Standards Authority of India established under section 4 of the Food Safety and Standards Act, 2006.
- (2) All the words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act and rules or regulations made thereunder shall have same meaning assigned to them in the Act and rules or regulations made thereunder.

CHAPTER - II

2. Funds of the Authority. - (1) The Food Authority shall maintain the Food Safety and Standards Authority of India Fund to further the objectives of the Act.

- (2) Financial receipts of the Authority shall include the following amounts, namely: -
- (a) grants made to the Food Safety and Standards Authority of India Fund by the Central Government.
 - (b) sums realised by the way of fees and penalties and other statutory charges by the Authority.
 - (c) income received out of the investments made from the Fund;
 - (d) by way of testing charges, consultancy, grants, donations; or any other sources, etc.
- (3) All sums such as fees, penalties and other statutory charges realised by the Food Safety and Standards Authority (including interest thereof) as a Regulatory Body may be separately accounted for and received in a Bank Account to be maintained by the Authority;
- (4) Sharing of sums realised under clause (b) of sub-regulation 2 of regulation 2 among stakeholders shall be decided by the Authority.
- (5) Any amount available with the Authority as on the date of coming into force of these Regulations on account of the receipts mentioned in sub-regulation 3 of regulation 2, shall be transferred to the Bank Account maintain for such receipts.
- (6) All expenses of the Food Authority shall be met from the combined receipts referred to in sub-regulation 1 of regulation 2, in accordance with the budget as approved by the Food Authority and forwarded to the Central Government in accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 81 of the Act.
- (7) The Food Authority may maintain more than one bank accounts to handle financial receipts mentioned in sub-regulation 1 of regulation 2.

CHAPTER - III

3. Finance Committee. - (1) There shall be a Finance Committee which shall consist of the following members, namely: -

- (i) Executive Director (Finance),
Food Safety and Standards Authority of India - Chairman;
- (ii) Representative of Additional Secretary & Finance Authority,
Ministry of Health & Family Welfare - Member;
- (iii) Two members of the Food Authority nominated by it - Members;
- (iv) Director (Finance),
Food Safety and Standards Authority of India - Member Secretary;

(2) The Finance Committee shall provide overall inputs on financial matters of the Food Authority and more specifically relating to review of :

- (i) budget of the Authority (including performance budget);
- (ii) estimation of grant in aid from the Central Government and other receipts;
- (iii) audit of accounts of the Food Authority through auditors appointed for this purpose;
- (iv) investment of surplus funds;
- (v) advice on budget allocations for various work programmes.

- (3) (i) The Chief Financial Authority shall cause to develop financial report formats and present the financial reports to the Finance Committee.
- (ii) The reports developed by the Chief Financial Authority would generally provide the Authority's financial and cash position, its adherence to the budget and any donor-imposed restrictions on contributions.
- (iii) The annual accounts and financial statements of the Food Safety and Standards Authority of India shall be prepared by the Chief Financial Authority, reviewed by the Finance Committee and shall be placed before the Food Authority for its consideration.
- (4) **Meetings of the Committee.** - (1) The Finance Committee shall meet at least twice in a year or more frequently as may be required.
- (2) The Executive Director (Finance), Food Authority and two other members shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the Committee.
- (3) The minutes of the meeting shall be duly prepared and signed by the attending members.
- (4) Travel and other allowances admissible to non-official members of the Committee for attending the meetings may be borne by the Food Authority.
- (5) All financial proposal shall be placed before the Finance Committee prior to being placed before Food Authority for consideration and approval.

CHAPTER –IV

- 4. Delegation for utilisation of the Fund,** - The Fund shall be utilised in the manner as specified below, namely: -
- (i) all expenses from the Fund received from the Central Government shall be incurred in accordance with the General Financial Rules, 2017 of Government of India as amended from time to time.
- (ii) all expenses from the funds received from the sources other than Central Government shall be incurred in accordance with the General Financial Rules 2017 of Government of India or as per guidelines approved by the Food Authority on the recommendations of the Finance Committee.

CHAPTER –V

- 5. Accounts of the Authority.** - (1) The Authority shall maintain appropriate accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in accordance with such general directions as may be issued and in such form as may be specified by the Central Government.
- (2) The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by them in this behalf annually and any expenditure incurred by them or any person so appointed in connection with such audit shall be payable by the Authority.
- (3) The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him on this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./574/2022-23]